



# भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

## National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई / PROJECT IMPLEMENTATION UNIT

मकान नं. 54-55 (प्रथम तल), अमरलोक कॉलोनी, हरदा (म.प्र.)-461331

H.No. 54-55 (1st Floor) Amarlok Colony Harda (M.P.)-461331

दूरभाष / Phone : +91 75773 56227 ई-मेल / E-Mail ID: piuharda@nhai.org, nhaiharda@gmail.com



भाराराप्रा / पकाई / हरदा / रा.रा.-47 / पै.-2 / वन / केम्प खण्डवा / 2024 / 4170

दिनांक: 14.05.2024

प्रति,

वनमंडलाधिकारी, देवास,

जिला- देवास (म.प्र.)

**विषय :** देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 47 (पुराना NH-59A) इन्दौर-हरदा मार्ग को फोरलेन किए जाने हेतु 39.367 हे. (ऑनलाईन आवेदित 40.053 हे.) वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हरदा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक /FP/MP/Road/149883/2021)।

- संदर्भ :**
1. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4131 दिनांक 03.05.2024।
  2. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 4065 दिनांक 12.04.2024।
  3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, म.प्र. भोपाल का पत्र क्र.1959 दि.08.04.2024।
  4. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक 69052 दिनांक 02.04.2024।
  5. MoM of 4<sup>th</sup> REC dated 12.03.2024.

उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 3 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) वन भवन, म.प्र. भोपाल द्वारा लेख किया गया है कि, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व इस कार्यालय से संबंधित 2 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके, जो कि निम्नानुसार हैं:-

1. The concerned DFO shall revisit the proposed diversion area and ensure that area proposed for diversion is as per the actual boundary of the forest compartments and also verify the boundary through forest block map of forest area involved in this project.
2. The User Agency shall submit/uploaded the revised KML in polygon format of proposed diversion area in view of the site visit carried out by the REC and changes done in the alignment.

उपरोक्त के संबंध में आपके द्वारा 17.03.2024 को भाराराप्रा के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त दौरा किया गया तथा संयुक्त निरीक्षण के अनुसार वन कक्ष क्रमांक 20, 21, 28, 844, 95, 96, 97, 100, 784, 104, 105, 133(1), 133(2), 131 तथा 149 का वास्तविक स्थिति अनुसार KML तैयार की गई हैं तथा जिसे संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा स्थल पर सत्यापित भी किया गया है।

उक्त KML को परिवेष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अतः प्रथम चरण सिद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(आशुतोष सोनी)

परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि:-

- क्षेत्रीय अधिकारी भाराराप्रा, भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध), म.प्र. भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- वन संरक्षण (क्षेत्रीय), उज्जैन वृत्त, उज्जैन मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।